



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,  
Ministry of Finance, Department of Revenue,  
प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय,  
Office of the Principal Chief Commissioner,



केंद्रीय जीएसटी क्षेत्र, अहमदाबाद, जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.

Central GST Zone, Ahmedabad, GST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad – 380015.

दूरभाष Telephone: 079-26302133, 2630 3408, 2630 3418

Fax: 079-26307389, Email: ccu-cexamd@nic.in

दिनांक 07.12.2020

सेवा में,

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.),  
कार्यालय, प्रधान आयुक्त/ आयुक्त  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर  
अहमदाबाद- साउथ / अहमदाबाद- नार्थ  
गांधीनगर / राजकोट / भावनगर / कच्छ  
ऑडिट- अहमदाबाद / ऑडिट- राजकोट  
अपील - अहमदाबाद / अपील - राजकोट

महोदय/ महोदया,

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.), 2005 के अंतर्गत Shri Ravinder Kumar द्वारा दाखिल किया गया आवेदन - संबंधी |

सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.), 2005 के अंतर्गत Sh. Ravinder Kumar द्वारा दाखिल किया गया आवेदन जो इस कार्यालय को 01.12.2020 के दिन प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.), 2005 की धारा 6(3) के तहत आपके कार्यालय को अंतरित किया जाता है क्योंकि आवेदक के द्वारा आवेदन के बिंदु 11 में मांगी गयी सूचना विशेषतः आपके कार्यालय से सम्बंधित है।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आवेदन में मांगी गई अपेक्षित सूचना अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, आवेदक को सीधे ही मुहैया करे |

भवदीय,

सलग्न :- यथोपरि

(नितिन जैन)  
उप आयुक्त

Copy to:

1. Sh. Ravinder Kumar, D-54, Sector 6-L, Ward No. 54, Near Sanskrit School, Hanuman Junction, Dist - Hanumangarh, Rajasthan - 335512 for information please.



सतर्कता महानिदेशालय  
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, तृतीय तल, होटल सम्राट  
कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली - 110021

फा.सं. V-500/RTI/141/2020/10675

दिनांक: 11.11.2020

प्रतिष्ठा मे,

श्री रविंदर कुमार, पुत्र श्री बाबू राम,  
डी-54, सैक्टर 6-L, वार्ड न. 54, नियर संस्कृत स्कूल,  
हनुमान जंक्शन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान-335512.

23

महोदय,

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के संदर्भ मे।

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 जो की इस कार्यालय मे दिनांक 12.11.2020 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त आरटीआई आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जीएसटी परिषद, नई दिल्ली से बिन्दु 11 मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है।

2. इस संबंध मे सूचित किया जाता है की मांगी गयी सूचना CBIC के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय तथा DGGI नई दिल्ली से संबन्धित है। अतः आपके आरटीआई आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत CBIC के सभी जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय को, गुप-A अधिकारी के अतिरिक्त, तथा DGGI नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जा रहा है।

पुनः सूचित किया जाता की मांगी गयी सूचना, गुप-A अधिकारी के संबंध मे, इस कार्यालय की विभिन्न शाखाओ से एकत्र की जा रही है, तथा सूचना प्राप्त होने पर इसे नियत समय में प्रदान कर दिया जाएगा।

3. इस आदेश के खिलाफ अपील श्री मुकेश कुमार पाल, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और संयुक्त आयुक्त (सतर्कता), सतर्कता महानिदेशालय, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, कमरा संख्या- 321, तृतीय तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के समक्ष, इस संचार की प्राप्ति के 30 के भीतर दायर की जा सकती दिनों है।

भवदीय,

(अमित कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक आयुक्त(सतर्कता)

प्रति:

(1) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सीबीआईसी के सभी जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय को श्री रविंदर कुमार के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 की प्रति के साथ बिन्दु (11) मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ।

(2) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, DGGI, 239, Sector 5, C Block, West Block, Rama Krishna Puram, New Delhi, Delhi 110022 को श्री रविंदर कुमार के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 की प्रति के साथ बिन्दु (11) मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ।

(अमित कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक आयुक्त(सतर्कता)

पंजीकृत डाक द्वारा

क्रमांक: प.17(119) एसीसीटी/जीएसटी/2019/

दिनांक:

लोक सूचना अधिकारी,  
जीएसटी काउंसिल सचिवालय,  
पांचवा तल, दूसरा टॉवर, जीवन भारती बिल्डिंग, जनपथ रोड,  
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग  
राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक प.9(एच)(62)एडम/लोसू/ आयुक्त/  
2020-21/943 दिनांक 08.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू  
राम, डी-54, सैक्टर 6-एल, वार्ड नं. 54, नियर संस्कृत स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन,  
जिला-हनुमानगढ़ राजस्थान, 335512 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2 के तहत सूचना  
चाही गयी है।

चाही गयी सूचना जीएसटी अनुभाग, राज्य कर राजस्थान में संधारित नहीं की जाती  
है। यह सूचना जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। अतः मूल आवेदन-पत्र मय पोस्टल आर्डर  
47 एफ 006540 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित करते हुए  
निवेदन है कि आवेदित सूचना नियमानुसार आवेदनकर्ता को शीघ्र उपलब्ध कराने का श्रम  
करावें।

संलग्न- पत्रानुसार मय पोस्टल आर्डर

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना भिजवाने बाबत  
16.10  
I (RTI)

(केतन शर्मा)  
विशेष आयुक्त, (जीएसटी),  
वाणिज्यिक कर विभाग,  
राजस्थान, जयपुर



# सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत)

AC (T (Admin) Hd)

श्रीमान श्री अशोक कुमार शर्मा (आवेदक) :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

श्रीमान श्री अशोक कुमार शर्मा (आवेदक) का पता : 16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता

आवेदक का नाम : अशोक कुमार शर्मा

पता : अशोक कुमार शर्मा, 16/10/2020, 16/10/2020

सूचना का विवरण : निम्न आलेख की पहिलिखी/सूचना सफल करवाई जाए। दिनांक: 16/10/2020

मार्ग: यह सूचना का स्वयं (संशोधन)

1. सूचना का विवरण : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता।  
2. सूचना का विवरण : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता।  
3. सूचना का विवरण : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता।

श्री. एस.टी. वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने का आदेश का अभाव है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता।

श्री. एस.टी. वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने का आदेश का अभाव है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना वाच्यता।





31 जुलाई 2017 से 30 अगस्त 2020 तक, किला राजा का विभाग राजा  
 जी.एस.टी. का, जो शरिपती राशि के रूप में अदाया है? यदि रकमी  
 का डाटा उपलब्ध ना होनी थी तब भी राजा के राजस्व, राजस्व, हरिद्वारा,  
 राजा, मन्थपुर, दिल्ली का अदाया निष्कृत रूप से अदाया जाये?  
 राजा का नाम

कोरोना काल में प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था योजना में घोषित किचे-अर्थ, नि.शु.क, वि.के.के  
 जैसे तीन खिलाड़ियों पर जी.एस.टी. (वस्तु) वस्तु एवं सेवा कर लगाया है; प्रा.जी.के.के.  
 राजा का नाम

यदि माँगी गई सूचना आपसे, विभाग का कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो सूचना  
 का अदाया का अतिरिक्त अतिरिक्त 2005 की धारा 6(3) का संज्ञा लेते हुए  
 मेरी आवेदन संबंधित लोक सूचना आयोग को पॉप दिनों की समयावधि  
 के अन्तर्गत हस्तगत करें। साथ ही अतिरिक्त के प्राकृतिक के वस्तु सूचना  
 उपलब्ध करवाने समस्त प्रत्येक अपील आयोग का नाम एवं पता अवश्य अदाये।  
 - राजा

राजेश कुमार  
 राजेश कुमार

राजेश कुमार S/O बालू राम  
 प्लॉट D154, अमर 6-2, पार्स ज. 54  
 विहार सोसल स्कूल, हनुमान गढ़, अमर  
 जिला हनुमान गढ़, शाहजहाँ  
 पिन कोड - 335512  
 मो. नं. 9784562466

4. आवेदन शुल्क रुपये 10/- जमा कशन का प्रमाण - इण्डिया पोस्टल ऑर्डर  
 नम्बर 47F 006540..... दिनांक 29/9/2020..... संलग्न है।

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर आयुक्तालय</p> <p><b>OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST &amp; CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR</b></p> <p>सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, <b>CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO,</b> <b>NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009</b></p> <p><b>Ph. 079-27542608, Fax:079-27545021</b></p>	
---	--	---

दिनांक : 10-12-2020

**सेवा में,**

सहायक आयुक्त (सतकर्ता अनुभाग)

केंद्रीय वस्तु सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

गांधीनगर आयुक्तालय

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री श्री रविन्दर कुमार, पुत्र श्री बाबुराम, डी-54 सेक्टर-6-L, बोर्ड नंबर-54, नियर संस्कृत स्कूल, हुनमान जंक्शन, जिला हुनमान गढ़, राजस्थान पिनकोड-335512, राजस्थान, द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन पत्र भेजने के बारे में।

**महोदय,**

श्री रविन्दर कुमार, पुत्र श्री बाबुराम, डी-54 सेक्टर-6-L, बोर्ड नंबर-54, नियर संस्कृत स्कूल, हुनमान जंक्शन, हुनमान गढ़, राजस्थान जिल्ला पिनकोड-335512, राजस्थान ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपना आवेदन किया है जो की प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय वस्तु सेवा कर व उत्पाद शुल्क, को दिनांक 1.12.2020 को प्राप्त हुआ है।

उक्त आवेदन पत्र फा.सं.जीसीसीओ/ऐपीपी/आर.टी.आई/316/2020-TECH-O/O अहमदाबाद क्षेत्र दिनांक 07.12.2020 सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत प्राप्त हुआ है।

यह आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2020 को सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), गांधीनगर को प्राप्त हुआ है।

कृपया इस सम्बन्ध में मुख्यालय के उपरोक्त अनुभाग से निवेदन है की वो अपना उत्तर इस कार्यालय (सूचना का अधिकार अनुभाग) में यथाशीघ्र भेजने की कृपा करे ताकि इसका उत्तर समय से आवेदक को भेजा जा सके।

संलग्न:-ऊपर बताए अनुसार।

भवदीय

सहायक आयुक्त(सूचना का अधिकार),  
केंद्रीय वस्तु सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,  
गांधीनगर आयुक्तालय।



Reach us at

<http://www.cgstgandhinagar.go>

Follow

us@cgst\_gnr



आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर & केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
CGST & CENTRAL EXCISE, GANDHINAGAR  
कस्टम हाउस, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा  
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA,  
AHMEDABAD-380009.

Dt. 11.12.2020

To  
Assistant Commissioner (RTI)  
CGST & CX.,  
Gandhinagar

**Sub: RTI application from Shri Rajinder Kumar from  
Rajasthan: M/reg.**

Kindly refer to the aforesaid subject matter wherein information in respect of point no. 11 is sought from this section.

In point no. 11 information sought is, the number of arrests of GST Officers made between July, 2017 to August, 2020.

The desired information is **NIL**.

(K.C. George)  
Assistant Commissioner(P&V)  
CGST & CX.,Gandhinagar

Reach us at

<http://www.cgstgandhinagar.>



Follow

[us@cgst\\_gnr](https://twitter.com/us@cgst_gnr)





 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST &amp; CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021</p>	
---	--	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/596/2020-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	30/ RTI/2020-21
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री मनोजकुमार शर्मा/ Shri Manoj Kumar Sharma, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer, सहायक आयुक्त Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर, Central GST & Central Excise(H.Q)Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	15-12-2020
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	श्री रविन्दर कुमार, पुत्र श्री बाबुराम, डी-54 सेक्टर-6-L,वोर्ड नंबर-54,नियर संस्कृत स्कूल, हुनमान जंक्शन, हुनमान गढ़, राजस्थान जिल्ला पिनकोड-335512 Shri Ravinder Kumar, D-54, Sector 6-L, Ward No. 54, Near Sanskrit School, Hanuman Junction, Dist - Hanumangarh, Rajasthan - 335512

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को नि:शुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय गांधीनगर 2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है ।



Reach us at  
<http://www.cgstgandhinagar.go>



Follow  
us@cgst\_gnr

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2<sup>nd</sup> floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश  
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO  
INFORMATION ACT,2005**

श्री रविन्दर कुमार, पुत्र श्री बाबुराम, डी-54 सेक्टर-6-L,वार्ड नंबर-54, नियर संस्कृत स्कूल, हुनमान जंक्शन, हुनमान गढ़ जिला, राजस्थान पिनकोड-335512, द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, जो की केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी अहमदाबाद क्षेत्र, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र को प्रेषित किया गया था। उक्त आवेदन पत्र फ़ासं. GCCO/RTI/APP/316/2020-TECH दिनांक 07.12.2020, उप आयुक्त (सीपीआईओ), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 09.12.2020 को प्राप्त हुआ है।

Shri Ravinder Kumar, D-54, Sector 6-L, Ward No. 54, Near Sanskrit School, Hanuman Junction, Dist - Hanumangarh, Rajasthan - 335512 has filed an RTI application. The said application was transferred to the office of the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST Zone, Ahmedabad, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015. The said application has been received with the letter F.No.GCCO/RTI/APP/316/2020-TECH dated 07.12.2020 of Deputy Commissioner(CPIO), Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone on 09.12.2020 as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005 for submitting the reply of the application directly to the applicant.



इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है।

In this regards, the required information as available with the office, pertaining to H.Q. office is as below:-

In point No.11 information is sought about the number of arrests of GST officers made for accepting bribe for the period of July-2017 to Aug-2020.

The information asked for is Nil for CGST Gandhinagar Commissionerate.

त्वरित डाक/रजिस्टर ऐ डी द्वारा  
By Speed Post/Regd. AD

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer,  
सी.पी.आई.ओ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा मे, To

श्री रविन्दर कुमार, पुत्र श्री बाबुराम,  
डी-54 सेक्टर-6-L,वोर्ड नंबर-54,  
नियर संस्कृत स्कूल, हुनमान जंक्शन,  
हुनमान गढ़, राजस्थान जिल्ला  
पिनकोड-335512, राजस्थान

Copy to: -

1. CPIO/Deputy Commissioner, O/o the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone with respect to letter F. No. GCCO/RTI/APP/316/2020-TECH dated 10.12.2020 for information please.

